न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–348/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/348)

1. श्री छोगा सिंह पुत्र स्वर्गीय लाला पोत्र कम्मा जाति रावत निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 05.08.2022 , प्रकरण संख्या 65/2015 (283/2022)

उपस्थितः–

1. श्री एन.एस.राजावत अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री हरी सिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः– 25.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2015 (283/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक राजस्व संख्या 28/2015 (282/2022) अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 408 रकबा 12–09–00 बीघा की भूमि जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 759 रकबा 12–09–00 बीघा तथा वर्तमान खसरा नम्बर 378 रकबा 01.87 है0 कृषि भूमि अपीलांट/प्रार्थी के पिता लाला पुत्र कम्मा एवं कज्जा पुत्र जवाना जाति रावत के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की रही है जिसका अपीलांट/प्रार्थी एवं उसके पूर्वाधिकारियों के मध्य अन्य भूमियों के साथ आपसी सहमति से हुए बाहमी विभाजन के तहत् तीन बीघा भूमि अपीलांट/प्रार्थी के हक–अधिकार व आधिपत्य में प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट/प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व ही बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, जिस भूमि के चारो ओर पक्की चारदीवारी व एक भाग पर आवास निर्मित है तथा सिंचाई हेतु कुआं विद्यमान होकर विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया है जिस भूमि को गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कारित करते हुए सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा उक्त गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कलक्टर, अजमेर के विधि विरूद्ध एवं एक पक्षकय प्रशासनिक आदेश दिनांक 17.11.1997 से नगर सुधार न्यास, अजमेर (अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर)को हस्तातंरित कर दिया गया। इस कारण गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त एवं विलोपित किय जाने के साथ ही विधि विरूद्ध एवं एक पक्षीय प्रशसनिक आदेश दिनांक 17.11.1997 को निरस्त करते हुए खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें। साथ ही समान कथनो के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिस वाद एवं प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये जाने पर, अप्रार्थीगण द्वारा वाद एवं प्रार्थना–पत्र के कथनो को अस्वीकार करते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया, तत्पश्चात पत्रावली जिला कलक्टर, अजमेर प्रशासनिक आदेश की पालना में अन्य पत्रावलियों के साथ सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को स्थानान्तरित कर दी गयी, जो कि विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 23.11.2022 नियत है। जिस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहने के दौराने रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना किसी विधिक हक –अधिकार के अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2016 से दिनांक 05.08.2022 तक निरन्तर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का न्यायोचित एवं विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया , परन्तु अपीलांट/प्रार्थी के निरन्तर प्रयासों के बावजूद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पर ना तो किसी प्रकार का आदेश पारित किया जा रहा है तथा ना ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जा रहा है जिससे अपीलांट/प्रार्थी के अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य प्रभावित हो रहे है।इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2016 से दिनांक 05.08.2022 तक निरन्तर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का न्यायोचित एवं विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया, परन्तु अपीलांट/प्रार्थी के निरन्तर प्रयासों के बावजूद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पर ना तो किसी प्रकार का आदेश पारित किया जा रहा है तथा ना ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जा रहा है जिससे अपीलांट/प्रार्थी के अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य प्रभावित हो रहे है। इसलिए मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है। जिसमें प्रस्तुती में हुई देरी का पर्याप्त, उचित एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित,पर्याप्त, सद्भाविक एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 एवं सम्वत 2022 से 2025 एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2027, 2028, 2031, 2038, 2040, 2045, एवं 2052 में किये गये इन्द्राज तथा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की नियमन पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पर सम्पादित की गई कार्यवाही के तहत् प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट/प्रार्थी का विवादित भूमि पर सम्वत 2015 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में प्रभाव में आने की तिथि के पूर्व से ही निरन्तर काबिज काश्त, रहवास इत्यादि होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होकर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान करते है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.08.2022 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों की पुनरावृति की गई इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 05.08.2022 के बाबत् किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित नहीं किये जाने से विधिक त्रुटि कारित की है। "विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय समय पर होना चाहिए, देरी से न्याय का अर्थ है, न्याय से वंचित रखना" तथा "यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु न्याय किया हुआ प्रतीत भी होना चाहिए।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के प्रकरण को सम्पादित किऐ गए सम्पूर्ण कार्यवाही से न्याय का हनन होकर प्रार्थी/अपीलांट के अचत सम्पत्ति में निहित विधिक हक-अधिकार व आधिपत्य से वंचित होने की पूर्ण संभावना उत्पन्न हो गई है से व्यथित होकर याचित अनुतोष हेतु यहय अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 65/2015 (283/2022) में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 में परिवर्तन एवं संशोधन किया जाकर अस्थाी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने के आदेश पारित करावें, अन्य अनुतोष जो मान्नीय न्यायालय अपील की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उचित समझे, अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष मे एवं रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.एल.आर.1988 (2) पेज 871, आर.बी.जे.(19) 2012 पेज 26, आर.बी.जे. (27) 2020 पेज 83 एवं 1994 आर.आर.डी. पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें किसी प्रकार के अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किये है फिर भी यह अपील मियाद बाहर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। देरी के संतोषजनक कारण एवं सद्भाविक कारण अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित साविक खसरा नम्बर 408 रकबा 12-09-00 बीघा भूमि लालाल पुत्र कम्मा एवं कज्जा पुत्र जवाना जाति रावत के आधिपत्य व कब्जे में न होकर नवीन वर्किंग खसरा नम्बर 759 रकबा 12-09-00 बीघा आधारभूत खसरा नम्बर 378 रकबा 3.40 है0 की भूमि प्रार्थी के कब्जे व काश्त में नहीं होकर वर्तमान में अप्रार्थी/रेसपोडेन्ट संख्या 01 के आधिपत्य में है जो जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमाकःक.अ./राजस्व/एफ 12 (सी)/2359/111/97/37 दिनांक 17.11.1997 की पालना में अप्रार्थी/रेसपोडेन्ट संख्या 01 के आधिपत्य के कब्जे में वर्ष 1997 से चली आ रहा है, प्रार्थी/अपीलांट का कोई काश्त व कब्जा नही है तथा ना ही प्रार्थी/अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी अपने कथन को समुचित ठोस से प्रमाणित करें।प्रार्थी/अपीलांट व उसके पूवजो का कोई हक व अधिकार गत 80 सालो से नही है बल्कि गत 18 सालो से तो अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है ऐसी दशा में प्रार्थी खातेदारी उदघोषणा की डिक्री पाने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय व समानता प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक (रेसपोडेन्ट संख्या 02) ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्ष 1997 से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के आधिपत्य में चली आ रही है।प्रार्थी ने समय रहते उक्त आराजी की खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होकर राज्य सरकार में निहित हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये हैं। उक्त अपील न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपनाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वकील अपीलार्थी द्वारा अपने मिमों ऑफ अपील तथ्यों को दहराते हुए कथन किया कि ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 408 रकबा 12–09–00 बीघा की भूमि जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 759 रकबा 12–09–00 बीघा तथा वर्तमान खसरा नम्बर 378 रकबा 01.87 है0 कृषि भूमि अपीलांट/प्रार्थी के पिता लाला पुत्र कम्मा एवं कज्जा पुत्र जवाना जाति रावत के संयुवत खातेदारी व आधिपत्य की रही है जिसका अपीलांट/प्रार्थी एवं उसके पूर्वाधिकारियों के मध्य अन्य भूमियों के साथ आपसी सहमति से हुए बाहमी विभाजन के तहत् तीन बीघा भूमि अपीलांट/प्रार्थी के हक–अधिकार व आधिपत्य में प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट/प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व ही बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, जिस भूमि के चारो ओर पक्की चारदीवारी व एक भाग पर आवास निर्मित है तथा सिंचाई हेतु कुआं विद्यमान होकर विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया है जिस भूमि को गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कारित करते हुए सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को सन् 2015 से आज दिनांक तक निरन्तर विचाराधीन है, जबकि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वाधिकार के हक व अधिकार में निहित थी जिसका निस्तारण किया जाना चाहिए था। "विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय समय पर होना चाहिए, देरी से न्याय का अर्थ है, न्याय से वंचित रखना" तथा "यह भी सुस्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु न्याय किया हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 एवं सम्वत 2022 से 2025 एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2027, 2028, 2031, 2038, 2040, 2045 एवं 2052 में किये गये इन्द्राज तथा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की नियमन पत्रावली पर सम्पादित की गई कार्यवाही के तहत् प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट/प्रार्थी का विवादित भूमि पर सम्वत 2015 से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने की तिथी के पूर्व से ही निरन्तर कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के लगभग 07 वर्ष के पश्चात् भी इसका निस्तारण नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट को होना साबित है। हम अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1994 आर.आर.डी. पेज 141 एवं आर.बी.जे. (27) पेज 2020 पेज 83 से सहमत है जिसमें प्रार्थी का कब्जा साबित होने पर एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। चूँकि प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसका अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। इसलिए पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का इसी स्तर पर निस्तारण कर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण आदेश दिनांक से 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी * अजमेर *

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश से 60 दिवस में आवश्यक रूप से पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के प्रार्थना पत्र संख्या 65/2015 (283/2022) में अंकित विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner